[2018] 1 एस. सी. आर 287

एसएमटी। के. ए. अन्नाम्मा

वी.

सचिव, कोचीन को-ऑपरेटिव अस्पताल

सोसायटी लिमिटेड।

(2018 की सिविल अपील संख्या 197)

12 जनवरी, 2018

[आर. के. अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, जे. जे.]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947-सेवा विवाद-श्रम न्यायालय का क्षेत्राधिकार-तथ्यों पर, दोनों पक्षों के बीच सेवा विवाद सहकारी समिति के कर्मचारी और नियोक्ता-सहकारी समिति-अधिनियम के तहत श्रम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र-आयोजितः के. सी. एस. अधिनियम और आई. डी. अधिनियम दोनों समवर्ती अधिकार रखते हैं और उनका लाभ उठाते हैं।

को-ऑपरेटिव सोसाइटी के कर्मचारी और उसके नियोक्ता-को-ऑपरेटिव सोसाइटी के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी सेवा विवाद को तय करने का अधिकार क्षेत्र-किसी भी को चुनना संबंधित कर्मचारी की पसंद है।

के. सी. एस. अधिनियम और आई. डी. अधिनियम के तहत उसके लिए उपलब्ध दो मंचों में से एक मंच, अपने सेवा विवाद का फैसला करने के लिए-यदि कर्मचारी आई. डी. अधिनियम के तहत श्रम अदालत के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करना चाहता है, तो कर्मचारी को आई. डी. अधिनियम के तहत निर्धारित परीक्षण को संतुष्ट करना होगा कि संबंधित कर्मचारी एक "कर्मचारी" है, उसके द्वारा उठाया गया विवाद एक "औद्योगिक विवाद" है और सहकारी समिति-नियोक्ता एक "उद्योग" है जैसा कि आई. डी. अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है-तत्काल मामले में, श्रम अदालत आई. डी. अधिनियम केरल के तहत कर्मचारी द्वारा उठाए गए सेवा विवाद का फैसला करने में सक्षम थी।

सहकारी समिति अधिनियम, 1969। 69 .

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

सहकारी समिति के कर्मचारी और उसके बीच नियोक्ता-सहकारी समिति। यह संबंधित कर्मचारी की पसंद है कि वह अपने सेवा विवाद का निर्णय लेने के लिए दो अधिनियमों-के. सी. एस. अधिनियम और आई. डी. अधिनियम के तहत उसके लिए उपलब्ध दो मंचों में से किसी एक मंच का चयन करे। हालाँकि, यह पहचान पत्र अधिनियम के तहत निर्धारित परीक्षण को संतुष्ट करने के अधीन है कि कर्मचारी

संबंधित व्यक्ति एक "कर्मचारी" है, उसके द्वारा उठाया गया विवाद एक "औद्योगिक विवाद" है और सहकारी समिति-नियोक्ता एक "उद्योग" है जैसा कि आई. डी. अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है। श्रम न्यायालय में

तत्काल मामला आई. डी. अधिनियम के तहत कर्मचारी-अपीलार्थी द्वारा उठाए गए सेवा विवाद का फैसला करने के लिए सक्षम था। कानून के अनुसार गुण-दोष पर श्रम न्यायालय के निर्णय की वैधता और शुद्धता की जांच करने के लिए प्रतिवादी की रिट याचिका पर निर्णय लेने के लिए मामले को रिट अदालत में भेज दिया जाता है। [अनुच्छेद 103,104 और 106] [319-ई-जी; 320-ए]

इस तरह के सेवा विवाद का निर्णय लेना और यह पीड़ित व्यक्ति का काम है कि वह दो अधिनियमों में से अपनी पसंद के मंच का चयन करे ताकि सेवा विवाद का निपटारा "कर्मचारी", "औद्योगिक विवाद" और सहकारी समिति की परिभाषा के तत्वों को साबित करने के अधीन किया जा सके, जैसा कि "उद्योग" के तहत परिभाषित किया गया है। आई. डी. अधिनियम, यदि वह सेवा विवाद को तय करने के लिए आई. डी. अधिनियम के अधिकार क्षेत्र को लागू करना चाहता है। [पारस 20-21] [297-D-F]

3.1 * धारप्पा के मामले का अनुपात यह है कि सबसे पहले, कर्नाटक सी. एस. अधिनियम की धारा 70 जैसा कि यह मूल रूप से था और इसके द्वारा संशोधित किया गया था

1976 का पहला संशोधन अधिनियम 19, जिसमें धारा 70 में दो खंड (घ) और (ङ) जोड़े गए हैं, चाहे कोई इसे स्वतंत्र रूप से पढ़े या/और अन्य धाराओं के साथ जोड़कर पढ़े, यह पाएगा कि उसने ऐसा नहीं किया। के अधिकार क्षेत्र के स्पष्ट निष्कासन या बहिष्करण के लिए प्रावधान

आई. डी. अधिनियम के तहत श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण। दूसरे शब्दों में, इसने श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण के लिए उत्पन्न होने वाले सेवा विवादों पर निर्णय लेने के लिए कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं बनाया।

सहकारी समिति के कर्मचारी और उसके नियोक्ता (सहकारी समिति) के बीच। [पारस 72-73] [314-E-G] एसएमटी।

के. ए. अन्नाम्मा बनाम एसईसीवाई।, कोचिन को-ऑपरेटिव हॉस्पिटल एसओसी। लिमिटेड।

उनके सेवा विवाद के संबंध में मामला दर्ज करने के लिए मंच, यानी या तो कर्नाटक सीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के लिए या आईडी अधिनियम की धारा 10 के तहत औद्योगिक संदर्भ लेने के लिए या आईडी अधिनियम की धारा 10 (4-ए) के तहत आवेदन दायर करने के लिए। [पैरा 74] [314 जी-एच; 325-ए] 3.3 तीसरा, दोनों अधिनियमों, अर्थात् कर्नाटक सी. एस. अधिनियम और आई. डी. अधिनियम के पास समवर्ती अधिकार क्षेत्र था और वे इन पर अधिकार प्राप्त करते थे।

इस तरह के सेवा विवाद 20.06.2000 तक हैं। [पैरा 75] [325-बी]

2000 , जिसे आई. डी. 1 पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और आई. डी. 2 पर लागू किया गया, राज्य विधानमंडल ने पहली बार सहकारी समिति के कर्मचारी और उसके नियोक्ता (सहकारी समिति) के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी सेवा विवाद पर निर्णय लेने के लिए सिविल न्यायालय या श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को हटाने के लिए एक स्पष्ट प्रावधान प्रदान किया। इस तरह के संशोधित प्रावधान को लागू करने का प्रभाव यह था कि आई. डी. अधिनियम के प्रावधान अब लागू नहीं थे। ऐसे सेवा विवादों को तय करने के लिए। दूसरे शब्दों में, आई. डी. अधिनियम के अधिकार क्षेत्र को 20.06.2000 के बाद से ऐसे सेवा विवादों को तय करने से बाहर रखा गया था। एक दुर्भाग्य से, केवल कर्नाटक सी. एस. अधिनियम के तहत निर्दिष्ट अधिकारियों को सक्षम ठहराया गया था और 20.06.2000 के बाद से इस तरह के विवादों का मुकदमा चलाने के लिए अधिकार क्षेत्र था। [पारस 76-77] [325-C-D]

3.5 पाँचवाँ, सावधानी के नियम के माध्यम से, इस तरह के प्रश्न का निर्णय न्यायालयों द्वारा मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

संबंधित राज्य अधिनियम में प्रयुक्त भाषा। [पैरा 78] [325 ई] 3.6 छठा, संविधान का अनुच्छेद 254 तब आकर्षित होता है जब कर्नाटक सी. एस. अधिनियम जैसे राज्य अधिनियम के किसी भी प्रावधान (प्रावधानों) और किसी भी मौजूदा प्रावधान (प्रावधानों) के बीच प्रतिकूलता होती है।

समवर्ती सूची जैसे आई. डी. अधिनियम में आने वाले विषय पर संसद द्वारा अधिनियमित कानून। असंगति ऐसी होनी चाहिए

यह अपरिवर्तनीय है कि यह [2018] 1 एस. सी. आर. के साथ मिलीभगत पर सीधे सिर में आना चाहिए।

इस क्षेत्र में केंद्रीय अधिनियम का कोई भी प्रावधान जिससे ऐसी स्थिति पैदा होती है कि एक अधिनियम का पालन करने के परिणामस्वरूप दूसरे की अवज्ञा होगी। [पारस 79-80] [325-F-G]

3.7 सातवाँ, यदि किसी भी मामले में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो राज्य कानून (कर्नाटक सी. एस. अधिनियम) जो राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित है।

और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने पर, प्रबल होगा संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के आधार पर उस राज्य में केंद्रीय कानून (आईडी अधिनियम)। [पैरा 81] [325-एच; 316-ए]

4.1 जब तत्काल मामले में प्रश्न की जांच धारप्पा के मामले के अनुपात के आलोक में की जाती है, तो के. सी. एस. अधिनियम की धारा 69 की भाषा के बीच पर्याप्त समानता पाई जाती है, जैसा कि यह मूल रूप से था और बाद में 2000 के संशोधन अधिनियम 1 द्वारा कर्नाटक सी. एस. अधिनियम की धारा 70 में नियोजित भाषा के साथ संशोधित किया गया था, जैसा कि यह मूल रूप से प्रथम संशोधन अधिनियम 19/1976 द्वारा संशोधित भाषा के साथ था। दूसरे शब्दों में, यह देखा गया है कि दोनों के वाक्यांश विज्ञान और भाषा में संशोधन नहीं किया गया है और

के. सी. एस. अधिनियम की संशोधित धारा 69 और कर्नाटक सी. एस. अधिनियम की धारा 70, अधिनियम 1/2000 द्वारा पहले संशोधन द्वारा संशोधित, एक दूसरे के समान हैं। सबसे पहले, के. सी. एस. अधिनियम और कर्नाटक सी. एस. अधिनियम को उनके संबंधित अधिनियमन के समय राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। दूसरा, के. सी. एस. अधिनियम-संशोधन अधिनियम 1/2000 को भी राज्यपाल की मंजूरी मिल गई। कर्नाटक सी. एस. अधिनियम के संशोधन अधिनियम 19/76 को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई। तीसरा, धारा 69 और धारा 70 एक गैर-बाध्यकारी खंड से शुरू होती है। चौथा, धारा 69 और धारा 70 इन शब्दों के साथ समाप्त होती है "इस तरह के विवाद को पंजीयक को भेजा जाएगा और किसी भी अदालत को इस तरह के विवाद के संबंध में किसी भी मुकदमे या अन्य कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा"। पाँचवाँ, के. सी. एस. अधिनियम और कर्नाटक

सी. एस. अधिनियम में सिविल न्यायालय, श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को सेवा विवादों पर निर्णय लेने से हटाने के लिए स्पष्ट रूप से कोई प्रावधान नहीं था, जैसा कि कर्नाटक राज्य द्वारा पहली बार धारा 70 में लागू किया गया था। 2000 का 2 का संशोधन अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति से 20.06.2000 से प्रभावी है। यह इंगित करता है कि 20.06.2000 तक, के. सी. एस. अधिनियम और कर्नाटक सी. एस. अधिनियम के बीच समानता थी। तथापि, अधिनियम संख्या 2/2000 द्वारा धारा 70 का संशोधन किए जाने के बाद डब्ल्यू. ई. एफ. 20.06.2000 में एक विशिष्ट खंड प्रदान किया गया जिसमें सेवा विवादों का निर्णय करने के लिए सिविल, श्रम और राजस्व न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण की अधिकारिता को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, जो एस. एम. टी. की योजना है।

दोनों अधिनियम अब समान नहीं रहे। [पारस 83-89] [316-A H]

4.2 इसी तरह, यह पाया गया है कि धारा 69 और धारा 70 की शुरुआत और अंत में होने वाले समान शब्द थे

धारप्पा के मामले में व्याख्या की गई जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस प्रकार

प्रावधानों को आई. डी. अधिनियम के तहत श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण सहित अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के स्पष्ट बहिष्करण के रूप में नहीं माना जा सकता है। दूसरी ओर, यह अभिनिर्धारित किया गया कि कर्नाटक सी. एस. अधिनियम के पास 20.06.2000 तक सेवा विवादों को तय करने के लिए समवर्ती अधिकार क्षेत्र है। धारप्पा के मामले की यह व्याख्या पूरी तरह से के. सी. एस. अधिनियम के प्रावधानों पर लागू होगी यदि केरल राज्य द्वारा धारा 69 को कर्नाटक सी. एस. अधिनियम की संशोधित धारा 70 के बराबर धारा 69 बनाकर उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाता है। आज तक ऐसा नहीं है। [पारस 90-91] [317-A-C]

4.3 यद्यपि के. सी. एस. अधिनियम को 2000 के संशोधन अधिनियम 1 (डब्ल्यू. ई. एफ. 02.01.2003) द्वारा संशोधित किया गया था, लेकिन इसने के. सी. एस. अधिनियम में किसी भी प्रकार की विसंगति या प्रतिकूलता नहीं लाई।

पहचान पत्र अधिनियम, 1947। क्या के. सी. एस. अधिनियम, जिसमें अधिनियम 1/2000 द्वारा संशोधन भी शामिल है, किसी भी प्रकार की विसंगति लाता है या

के. सी. एस. अधिनियम और आई. डी. के प्रावधानों के बीच विरोधाभास

अपने अधिनियमन के साथ-साथ कर्नाटक सी. एस. अधिनियम को भी प्राप्त हुआ, इस न्यायालय ने कर्नाटक सी. एस. अधिनियम की धारा 70 की व्याख्या करते हुए राज्यपाल की सहमति से कर्नाटक सी. एस. अधिनियम की धारा 1976 द्वारा संशोधित धारा 70 की व्याख्या करते हुए धारप्पा के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 70 ने किसी भी धारा का सृजन नहीं किया है। आई. डी. अधिनियम के किसी भी प्रावधान के साथ असंगति या/और प्रतिकूलता और इस तरह के सेवा विवाद पर समवर्ती अधिकार क्षेत्र था। धारप्पा के मामले का यह अनुपात के. सी. एस. अधिनियम की धारा 69 पर लागू होगा क्योंकि यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 69 कर्नाटक सी. एस. अधिनियम की धारा 70 के समान है। इसके अलावा, संशोधित के. सी. एस. अधिनियम (2000 का 1) को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद कोई विसंगति या प्रतिकूलता [2018] 1 एस. सी. आर. नहीं आई।

आईडी अधिनियम के प्रावधानों के साथ। किसी भी स्थिति में, संशोधित के. सी. एस. अधिनियम 1/2000 के लिए राष्ट्रपति की सहमति के अभाव में, भले ही के. सी. एस. अधिनियम और आई. डी. अधिनियम के प्रावधानों के बीच कोई विसंगति या प्रतिकूलता मौजूद हो, यह आई. डी. अधिनियम है जो अनुच्छेद 254 (1) के आधार पर के. सी. एस. अधिनियम पर प्रबल होगा, लेकिन इसके विपरीत नहीं। [पारस 92-94] [317-D-H; 318-A]

4.4 संविधान का अनुच्छेद 254 उन मामलों में आकर्षित होता है जहां कानून संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया जाता है।

धारप्पा के मामले में इस न्यायालय द्वारा इसके दो संशोधनों सहित कर्नाटक सी. एस. अधिनियम के प्रावधानों की तुलना करते हुए पहचान पत्र अधिनियम के प्रावधानों के साथ। [पारस 95-98] [318-B-E]

4.5 बहुसंख्यक न्यायाधीशों ने जांच करने के लिए आगे बढ़े

1932 और 1951 के दो निरस्त के. सी. एस. अधिनियमों की प्रासंगिक धाराओं में प्रयुक्त भाषा की तुलना के. सी. एस. अधिनियम 1969 की धारा 69 की भाषा से करने का प्रयास करने और धारा 69 में नियोजित भाषा में कुछ विचलन को ध्यान में रखते हुए प्रश्न इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि धारा 69 की भाषा आई. डी. अधिनियम के तहत श्रम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने के लिए पर्याप्त व्यापक है। बहुसंख्यक न्यायाधीशों ने के. सी. एस. अधिनियम की कुछ और धाराओं पर भी ध्यान दिया और के. सी. एस. अधिनियम और कर्नाटक सी. एस. अधिनियम की योजना में कुछ समानताओं को देखते हुए कहा कि के. सी. एस. अधिनियम की धारा 69 स्थापना के बाद से आई. डी. अधिनियम के प्रावधानों को ओवरराइड करती है। बहुमत के दृष्टिकोण से सहमति नहीं हो सकती है। [पैरा 99] [318-एफ-जी]
4.6 जब इस अदालत ने * धारप्पा के मामले में कर्नाटक सी. एस. अधिनियम की धारा 70 की भाषा की व्याख्या की, तो एस. एम. टी. सवाल करता है।

के. ए. अन्नाम्मा बनाम एसईसीवाई।, कोचिन को-ऑपरेटिव हॉस्पिटल एसओसी। लिमिटेड।

यहाँ शामिल की तुलना करके जांच की जानी चाहिए थी निरस्त प्रावधानों के साथ तुलना करने के बजाय कर्नाटक सीएस अधिनियम की धारा 70 में नियोजित भाषा के साथ केसीएस अधिनियम की धारा 69 में नियोजित भाषा। दूसरे शब्दों में, एक बार धारा 69 और धारा 70 की भाषा की तुलना के रूप में

पहले संशोधन द्वारा संशोधित, एक निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है कि दोनों धाराएँ एक दूसरे के समान हैं, क्योंकि धारप्पा के मामले में निर्धारित कानून धारा 70 की व्याख्या करता है जैसा कि यह मूल रूप से था और संशोधन अधिनियम 19/1976 द्वारा संशोधित किया गया था, जो के. सी. एस. अधिनियम की धारा 69 पर लागू होगा। दूसरी ओर, यह अनुपात 20.06.2000 के बाद लागू नहीं होगा क्योंकि उस तारीख से, धारा 70 की भाषा में परिवर्तन हुआ था, जिसमें 2/2000 के संशोधन अधिनियम द्वारा स्पष्ट शब्दों में अन्य न्यायालयों की अधिकारिता को बाहर करने के लिए एक खंड प्रदान किया गया था। उसके प्रकाश में,

बहुसंख्यक न्यायाधीशों के विचार को बरकरार नहीं रखा जा सकता है जबकि अल्पसंख्यक न्यायाधीशों के विचार को तदनुसार बरकरार रखा जाता है। [पारस 100-102] [319 A-C]

* धरप्पा बनाम। बीजापुर कॉप। दुग्ध उत्पादक समितियाँ

यूनियन लिमिटेड (2007) 9 एस. सी. सी. 109 [2007] 5 एस. सी. आर. 729-पर निर्भर था। ** चिरायिंकीझु सर्विसेज कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम। संतोष 2015 (4) के. एल. टी. 163 (एल. बी.)-खारिज।

के. बालचंद्रन बनाम दि. पंजीयक, सहकारी समाज और अन्य। ए. आई. आर 1978 केरल 126: 1978 केएलटी 249; शर्ली एम. यू. वी. अध्यक्ष, परप्पुरम दुग्ध उत्पादक निगम। सोसायटी लिमिटेड और अन्य। 2007 (1) के. एल. टी. 809; निदेशक मंडल, एडावा सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक बनाम। सहकारी मध्यस्थता न्यायालय और अन्य। 2008 (3) के. एल. टी. 780; थोडुपुड़ा तालुक जनरल

मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी बनाम माइकल सेबेस्टियन 2010 (1) के. एल. टी. 938; वीरशैव को-ऑप। बैंक लिमिटेड बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय (2001) 3 कर। एल. जे. 519; कर्नाटक चीनी मजदूर संघ बनाम। की स्थिति

कर्नाटक ए. आई. आर. 2003 कर एच. सी. आर. 1802-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

ए. आई. आर 1978 केरल 126

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

2007 (1) के. एल. टी. 809

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

2008 (3) के. एल. टी 780

संदर्भित किया गया है

पैरा

12 [2018] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2010 (1) के. एल. टी. 938

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

(2001) 3 Kar.LJ 519

पै

रा 61

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर. 2003 कर एच. सी. आर. 1802

संदर्भित किया गया है

पै

रा 62

[2007] 5 एससीआर 729

उस पर भरोसा करें

पै

रा 91

2015 (4) के. एल. टी. 163 (एल. बी)

खारिज कर दिया गया

पै

रा 102

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 197

2018 .

उच्च न्यायालय के 21.12.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2010 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 18354 में एर्नाकुलम में केरल सरकार की ओर से।

पी. वी. सुरेंद्रनाथ, वरिष्ठ अधिवक्ता।, रमिथा आर. चंद्रन, वी. के.

सिद्धार्थन एड. अपीलार्थी के लिए।

रमेश बाबू एम. आर., अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय मनोहर सप्रे, जे. 1. छुट्टी दे दी गई। 2. यह अपील अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है।

दिनांक 21.12.2015 को केरल के उच्च न्यायालय द्वारा एर्नाकुलम में पारित किया गया। (सी) 2010 का No.18354 जिसके तहत उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को मंजूरी दी और दिनांकित पुरस्कार को रद्द कर दिया।

23.09.2009 2006 के I.D.No.32 में श्रम न्यायालय, एर्नाकुलम।

3. अपील में शामिल विवाद की सराहना करने के लिए,

जो अनिवार्य रूप से कानूनी प्रकृति का है, कुछ निर्विवाद तथ्यों का उल्लेख करना पर्याप्त होगा।

तथ्य संक्षेप में

4. प्रत्यर्थी के तहत पंजीकृत सहकारी समिति है

केरल सहकारी समिति अधिनियम, 1969 (इसके बाद "के. सी. एस. अधिनियम" के रूप में संदर्भित)। अपीलार्थी प्रत्यर्थी सोसायटी का कर्मचारी था। दिनांक 22.03.2005 के आदेश द्वारा, प्रत्यर्थी-सोसायटी ने अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्त कर दिया।

5. अपीलार्थी ने अपने बर्खास्तगी आदेश से व्यथित महसूस करते हुए एक याचिका दायर की

प्रत्यर्थी के खिलाफ राज्य सरकार के साथ शिकायत-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत सोसायटी (इसके बाद "आईडी अधिनियम" के रूप में संदर्भित)। सुलह विफल होने पर, उपयुक्त सरकारी एस. एम. टी.।

के. ए. अन्नाम्मा बनाम एसईसीवाई। , कोचिन को-ऑपरेटिव हॉस्पिटल एसओसी। लिमिटेड। [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

कोई भी। 6. श्रम न्यायालय ने दिनांक 23.09.2009 के निर्णय द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में संदर्भ का उत्तर दिया। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बर्खास्तगी आदेश है

कानून में खराब और तदनुसार अलग कर दिया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संदर्भ के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी ने 31.05.2007 पर सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली है, इसलिए, वह सभी मौद्रिक और अन्य सेवा लाभ प्राप्त करने की हकदार थी जो कानून में अनुमेय हैं।

8. इस स्तर पर, यह बताना आवश्यक है कि रिट याचिका में शामिल प्रश्न, जो अंततः इस न्यायालय तक पहुंचा, केरल उच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों द्वारा पहले कैसे तय किया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा रिट याचिका दायर करना और इसकी विचाराधीनता के दौरान।

9. यह प्रश्न, जो 1978 से केरल उच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों के समक्ष अक्सर विचार के लिए आया था, था " जब किसी सहकारी समिति के कर्मचारी और उसके नियोक्ता (सहकारी समिति) के बीच कोई सेवा विवाद उत्पन्न होता है, तो क्या ऐसा विवाद आई. डी. अधिनियम के तहत निर्धारित मंच द्वारा या के. सी. एस. अधिनियम के तहत या दोनों अधिनियमों के तहत एक पीड़ित व्यक्ति की पसंद के अनुसार ऐसे सेवा विवाद को तय करने के लिए दोनों अधिनियमों में से किसी के तहत मंच का चयन करने के लिए विचारणीय है।

10. दूसरे शब्दों में, सवाल यह था कि "क्या सहकारी समिति के कर्मचारी और उसके बीच उत्पन्न होने वाला सेवा विवाद है।

नियोक्ता के. सी. एस. अधिनियम के तहत निर्धारित मंच या आई. डी. अधिनियम के तहत प्रदान की गई मशीनरी द्वारा मुकदमा चलाने में सक्षम है या यह दोनों अधिनियमों के तहत मुकदमा चलाने में सक्षम है जिससे पीड़ित व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी भी अधिनियम के तहत एक मंच का चयन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

ऐसे मंच द्वारा अपने सेवा विवाद का निर्णय कराने के लिए दोनों में से। " 9 11. उपरोक्त प्रश्न का निर्णय सबसे पहले केरल उच्च न्यायालय की दो पूर्ण पीठों ने के. बालचंद्रन बनाम मामले में किया था। दि. पंजीयक,

सहकारी समितियाँ और अन्य। , ए. आई. आर. 1978 केरल 126 = 1978 के. एल. टी. 249 और शर्ली एम. यू. बनाम अध्यक्ष, परप्पुरम मिल्क [2018] 1 एस. सी. आर.

निर्माता सहकारी समिति। सोसायटी लिमिटेड और अन्य।, 2007 (1) के. एल. टी. 809 में दोनों मामलों में शामिल तथ्यों के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सहकारी समिति के कर्मचारी और उसके नियोक्ता के बीच उत्पन्न विवाद पर धारा 69 के तहत निर्णय नहीं लिया जा सकता था।

के. सी. एस. अधिनियम जो उस समय था।

12. यह प्रश्न फिर से निदेशक मंडल, एडावा सर्विस कंपनी में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष विचार के लिए आया।

2008 (3) के. एल. टी. 780 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक सहकारी समिति के कर्मचारी और उसके नियोक्ता के बीच एक सेवा विवाद दोनों अधिनियमों के तहत मुकदमा चलाने में सक्षम है क्योंकि दोनों अधिनियमों को इस तरह के सेवा विवाद का प्रयास करने और निर्णय लेने के लिए समवर्ती अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। 13. दूसरे शब्दों में, एकल न्यायाधीश के अनुसार, एक अधिनियम दूसरे को बाहर नहीं करता है और इसलिए, दोनों अधिनियम समवर्ती हैं।

ऐसे विवाद का निर्णय करने की अधिकारिता, पीड़ित व्यक्ति को दोनों अधिनियमों में से किसी भी अधिनियम के तहत अपनी पसंद का मंच चुनने के लिए छोड़ देती है।

14. इस प्रश्न पर फिर से थोडुपुड़ा तालुक जनरल मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी बनाम डिवीजन बेंच द्वारा विचार किया गया था।

माइकल सेबेस्टियन, 2010 (1) के. एल. टी. 938 जिसमें डिवीजन बेंच ने निदेशक मंडल, एडावा सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक (उपरोक्त) में लिए गए एकल न्यायाधीश के विचार से सहमति व्यक्त की। यह तदनुसार था

दोहराया।

15. अंत में, इस प्रश्न पर डब्ल्यू. पी. में एक अन्य एकल पीठ द्वारा विचार किया गया था। (सी) No.30854/2007 चिरायिंकीझु सर्विस कंपनी

ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड No.115 बनाम के. संतोष और अन्र। और फिर उक्त रिट याचिका से उत्पन्न रिट अपील No.2516/2009 में डिवीजन बेंच द्वारा। रिट अपील की सुनवाई करते समय, थोडुपुड़ा तालुक सामान्य विपणन सहकारी के मामले में दिए गए पहले के निर्णय की शुद्धता के बारे में खंड पीठ के समक्ष संदेह उठाया गया था।

समाज (ऊपर) का तर्क है कि उक्त निर्णय पर विभिन्न कारणों से पुनर्विचार की आवश्यकता है। 16. इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए, इस मामले को थोडुपुड़ा तालुक जनरल में निर्धारित कानून पर पुनर्विचार करने के लिए बड़ी पीठ को भेजा गया था

विपणन सहकारी समिति (ऊपर)। इस तरह मामले को तीन विद्वान न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के समक्ष रखा गया।

एसएमटी। के. ए. अन्नाम्मा बनाम एसईसीवाई। , कोचिन को-ऑपरेटिव हॉस्पिटल एसओसी। लिमिटेड। [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

17. जब वृहद पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी, तब यह देखा गया कि पूर्ण पीठ के पहले के दो फैसलों पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है

क्योंकि एकल न्यायाधीश और खंड पीठ ने पूर्ण पीठ के फैसलों के बाद थोड़ा अलग दृष्टिकोण अपनाया है, जो दो पूर्ण पीठ के फैसलों के साथ टकराव में प्रतीत होता है, जिसके परिणामस्वरूप एक ही प्रश्न पर एक ही उच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों के बीच राय का विभाजन होता है। यही कारण है कि इस प्रश्न की नए सिरे से जांच करने के लिए पांच न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के गठन की आवश्यकता उत्पन्न हुई विवाद को निपटाने के लिए।

18. तीन न्यायाधीशों की पीठ ने तब 9 न्यायाधीशों का गठन किया।

पाँच न्यायाधीशों की पीठ को तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्दिष्ट प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम बनाने के लिए प्रश्न। 19. दिनांक 14.09.2015 के आदेश द्वारा, पाँच-न्यायाधीशों की पीठ ने चिरायिंकीज़ु सेवाओं के मामले में निर्दिष्ट प्रश्नों का उत्तर दिया।

सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम संतोष, 2015 (4) केएलटी 163 (एलबी)। तथापि, निर्दिष्ट प्रश्नों पर पाँच न्यायाधीशों (3:2) के बीच मतभेद था।

20. जहाँ तक तीन न्यायाधीशों के बहुमत के दृष्टिकोण का संबंध है, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सहकारी समिति के कर्मचारी और नियोक्ता (सहकारी समिति) के बीच उत्पन्न होने वाला सेवा विवाद केवल के. सी. एस. अधिनियम, 1969 के तहत निर्धारित मंच द्वारा विचारण योग्य है और आई. डी. अधिनियम के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा गया है और इस तरह के सेवा विवाद का परीक्षण करने के लिए वर्जित है। 21. जहाँ तक दो न्यायाधीशों के अल्पमत के दृष्टिकोण का संबंध है, इसने अभिनिर्धारित किया कि इस तरह का सेवा विवाद दोनों अधिनियमों, अर्थात के. सी. एस. अधिनियम के तहत विचारणीय है।

और आई. डी. अधिनियम। दूसरे शब्दों में, यह माना गया कि दोनों अधिनियमों के पास है और

इस तरह के सेवा विवाद को तय करने के लिए समवर्ती अधिकार क्षेत्र का लाभ उठाना और यह पीड़ित व्यक्ति पर है कि वह अपनी पसंद के मंच का चयन करे।

"कर्मचारी", "औद्योगिक विवाद" और सहकारी समिति को आई. डी. अधिनियम के तहत परिभाषित "उद्योग" के रूप में परिभाषित करने के लिए सामग्री को साबित करने के अधीन सेवा विवाद का निपटारा करने के लिए दो अधिनियम, यदि वह सेवा विवाद का निर्णय लेने के लिए आई. डी. अधिनियम के अधिकार क्षेत्र को लागू करना चाहता है।

22. बहुमत के दृष्टिकोण पर भरोसा करते हुए, मामले में प्रतिवादी (नियोक्ता) द्वारा दायर रिट याचिका को विद्वान द्वारा अनुमति दी गई थी

एकल न्यायाधीश, जिसके परिणामस्वरूप श्रम न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया गया, कर्मचारी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति के माध्यम से इस अपील को दायर करने को जन्म दिया।

18] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. वी. सुरेंद्रनाथ और प्रत्यर्थी के विद्वान वकील श्री रमेश बाबू को सुना।

24. बहुसंख्यक न्यायाधीशों की वैधता, शुद्धता और तर्क पर जोर देते हुए अपीलार्थी (कर्मचारी) के लिए विद्वान वकील (3)

उन्होंने तर्क दिया कि बहुमत का दृष्टिकोण धारप्पा बनाम बीजापुर सहकारी समिति में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप नहीं प्रतीत होता है। दूध उत्पादक सोसायटी यूनियन लिमिटेड (2007) 9 एस. सी. सी. 109 जबकि अल्पसंख्यक न्यायाधीशों (2) द्वारा लिया गया दृष्टिकोण धारप्पा (उपर्युक्त) के मामले में निर्धारित कानून के अनुरूप प्रतीत होता है और इसलिए,

विद्वान वकील के अनुसार, अल्पमत के दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा जाना चाहिए।

25. धारप्पा (ऊपर) के मामले में निर्धारित अनुपात पर मजबूत निर्भरता रखते हुए, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि यदि धारप्पा के मामले को मामले के तथ्यों के सही परिप्रेक्षय में लागू किया जाता है, अपील में शामिल प्रश्न का उत्तर अल्पसंख्यक न्यायाधीशों के दृष्टिकोण को बरकरार रखते हुए अपीलार्थी के पक्ष में दिया जाना चाहिए जो

उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया कि दोनों अधिनियम, अर्थात के. सी. एस. अधिनियम और आई. डी. अधिनियम, सहकारी समिति के कर्मचारी और उसकी नियोक्ता सहकारी समिति के बीच उत्पन्न होने वाले सेवा विवादों को तय करने के लिए समवर्ती अधिकार क्षेत्र का अधिकार रखते हैं और उनका आनंद लेते हैं। 26. विद्वान वकील ने आग्रह किया कि प्रतिवादी द्वारा रिट याचिका में आक्षेपित श्रम न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा जाना चाहिए और मामले को योग्यता के आधार पर रिट याचिका पर निर्णय लेने के लिए रिट अदालत (एकल न्यायाधीश) को भेजे जाने की आवश्यकता है।

27. यह प्रस्तुतिकरण है, जिसे विद्वान वकील ने धारप्पा (ऊपर) के निर्णय पर भरोसा रखते हुए विस्तार से बताया, प्रासंगिक

के. सी. एस. अधिनियम, 1969 और कर्नाटक सहकारी समिति अधिनियम, 1959 (इसके बाद "कर्नाटक सी. एस. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के प्रावधान।

28. जवाब में, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील-सोसायटी (नियोक्ता) ने तर्क दिया कि अधिकांश न्यायाधीशों (3) द्वारा लिया गया विचार कानून के अनुसार, इसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

29. विद्वान वकील ने धारप्पा के मामले के अनुपात, के. सी. एस. अधिनियम और कर्नाटक के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए अपनी दलील को विस्तार से बताया।

उनकी प्रस्तुति के समर्थन में सी. एस. अधिनियम।

30. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन पर, हम विद्वानों के समर्पण में बल पाते हैं।

अपीलार्थी (कर्मचारी) के लिए वकील।

आई. टी. के. ए. अन्नाम्मा बनाम एसईसीवाई। , कोचिन को-ऑपरेटिव हॉस्पिटल एसओसी। लिमिटेड। [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

31. हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, हम अल्पसंख्यकों को बनाए रखने के लिए इच्छुक हैं

दिए गए कारणों के लिए।

32. शुरुआत में, के. सी. एस. अधिनियम के प्रासंगिक पहलुओं को निर्धारित करना आवश्यक माना जाता है, जो विवाद पर असर डालते हैं:

" धारा 2 (i)

2 ((i) "विवाद" से व्यवसाय से संबंधित कोई भी मामला अभिप्रेत है,

समाज का गठन, प्रतिष्ठान या प्रबंधन

मुकदमेबाजी का विषय होने में सक्षम है और इसमें किसी सोसायटी को या उसके द्वारा देय किसी राशि के संबंध में दावा शामिल है, चाहे वह दावा स्वीकार किया जाए या नहीं।

असंशोधित धारा 69

" 69.विवाद

पंजीयक को भेजा जाना-(1)

उस समय के लिए किसी भी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद

लागू होना, यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है

(क) सदस्यों, पूर्व सदस्यों और दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच

सदस्यों, पूर्व सदस्यों और मृतकों के माध्यम से सदस्य; या

((ख) किसी सदस्य, पूर्व सदस्य या किसी सदस्य, पूर्व सदस्य या मृत सदस्य के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति और सोसायटी, उसकी समिति या किसी अधिकारी, अभिकर्ता या प्रतिनिधि के बीच।

समाज के कर्मचारी; या

(ग) समाज या उसकी समिति और किसी भी अतीत के बीच

समिति, कोई भी अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी या कोई पूर्व अधिकारी, पूर्व अभिकर्ता या पूर्व कर्मचारी या नामित, उत्तराधिकारी

या किसी मृत अधिकारी के कानूनी प्रतिनिधि,

सोसायटी के मृत अभिकर्ता या मृत कर्मचारी; या

((घ) समाज और किसी अन्य समाज के बीच; या (ई) एक समाज और एक संबद्ध समाज के सदस्यों के बीच

उसके लिए; या

(च) सोसायटी और सोसाइटी के सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के बीच, जिसे सोसाइटी द्वारा ऋण दिया गया है।

या जिनके साथ समाज का व्यवसाय है या था

लेन-देन या इस तरह के माध्यम से दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति

(छ) सोसायटी और किसी सदस्य, पूर्व सदस्य, मृत सदस्य या कर्मचारी या किसी व्यक्ति की जमानत के बीच

एक सदस्य के अलावा, जिसे सोसाइटी द्वारा ऋण दिया गया है, चाहे वह सोसाइटी सदस्य हो या नहीं

समाज का; या

(ज) सोसायटी और सोसाइटी के लेनदार के बीच, इस तरह के विवाद को निर्णय के लिए पंजीयक को भेजा जाएगा, और किसी भी अदालत को किसी भी मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

या ऐसे विवाद के संबंध में अन्य कार्यवाही।

व्याख्याः - इस धारा में और धारा 70 में, "पंजीयक" शब्द का अर्थ है धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त सहकारी समितियों का पंजीयक और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जिस पर पंजीयक की शक्तियां इस धारा के तहत हैं।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित को भी विवाद माना जाएगा, अर्थात्ः (क) सोसाइटी द्वारा किसी भी ऋण या मांग के लिए दावा

किसी सदस्य या नामित व्यक्ति, उत्तराधिकारी या कानूनी व्यक्ति से

मृत सदस्य के प्रतिनिधि, चाहे ऐसा ऋण या मांग स्वीकार की जाए या नहीं;

((ख) प्रधान देनदार के विरुद्ध किसी मुचलकेदार द्वारा किया गया दावा, जहां सोसाइटी ने प्रमुख देनदार के चूक के परिणामस्वरूप प्रमुख देनदार से किसी भी ऋण या मांग के संबंध में मुचलकेदार से कोई राशि वसूल की है, चाहे वह ऋण या मांग स्वीकार की गई हो या नहीं;

(ग) के चुनाव के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद

प्रबंधन बोर्ड या सोसायटी का कोई अधिकारी;

व्याख्याः - आम निकाय के आयोजन से शुरू होने वाले चुनाव के किसी भी चरण में उत्पन्न होने वाला विवाद

चुनाव के लिए बैठक को चुनाव के संबंध में उत्पन्न होने वाला विवाद माना जाएगा।

(3) चुनाव के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ प्रबंधन बोर्ड या सोसायटी के किसी अधिकारी को पंजीयक द्वारा तब तक स्वीकार किया जाएगा जब तक कि यह चुनाव की तारीख से एक महीने के भीतर उसे नहीं भेजा जाता है।

आई. टी. के. ए. अन्नाम्मा बनाम एसईसीवाई। , कोचिन को-ऑपरेटिव हॉस्पिटल एसओसी। लिमिटेड। [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

(4) यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस धारा के तहत पंजीयक को संदर्भित कोई विवाद धारा 2 के खंड (i) में परिभाषित एक विवाद है, तो पंजीयक का निर्णय अंतिम होगा।

संशोधन अधिनियम 1/2000 W. E. F. 02.01.2003 द्वारा धारा 69 में संशोधन किया गया।

" 69. सहकारी मध्यस्थता न्यायालय और पंजीयक द्वारा तय किए जाने वाले विवाद

(1) तत्काल लागू किसी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है (क) सदस्यों, पूर्व सदस्यों और दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच

सदस्यों, पूर्व सदस्यों और मृतकों के माध्यम से

सदस्य; या

(ख) किसी सदस्य, पूर्व सदस्य या किसी सदस्य, पूर्व सदस्य या मृत सदस्य के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति और सोसाइटी, उसकी समिति या सोसाइटी के किसी अधिकारी, एजेंट या कर्मचारी के बीच; या

(ग) सोसायटी या उसकी समिति और किसी पूर्व समिति के बीच, कोई भी अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी या कोई पूर्व अधिकारी, पूर्व अभिकर्ता या पूर्व कर्मचारी या किसी मृत अधिकारी के नामित, उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि,

सोसायटी के मृत अभिकर्ता या मृत कर्मचारी; या

((घ) समाज और किसी अन्य समाज के बीच; या (ई) एक समाज और एक संबद्ध समाज के सदस्यों के बीच

उसके लिए; या

(च) समाज और समाज के किसी सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के बीच, जिसे समाज द्वारा ऋण दिया गया है।

या जिनके साथ समाज का व्यवसाय है या था

लेन-देन या इस तरह के माध्यम से दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति

व्यक्ति; या

(छ) सोसायटी और किसी सदस्य, पूर्व सदस्य, मृत सदस्य या कर्मचारी या किसी व्यक्ति की जमानत के बीच,

एक सदस्य के अलावा, जिसे सोसायटी द्वारा ऋण दिया गया है, चाहे वह जमानतदार सदस्य हो या नहीं।

समाज का; या [2018] 1 एस. सी. आर.

(ज) सोसायटी और सोसाइटी के लेनदार के बीच, इस तरह के विवाद को गैर-मौद्रिक विवादों के मामले में धारा 70ए के तहत गठित सहकारी मध्यस्थता न्यायालय और मौद्रिक विवादों के मामले में पंजीयक और मध्यस्थता न्यायालय को भेजा जाएगा।

पंजीयक, जैसा भी मामला हो, ऐसे विवाद का निर्णय करेगा और किसी अन्य न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के पास ऐसा अधिकार नहीं होगा।

किसी वाद या अन्य कार्यवाहियों पर विचार करने की अधिकारिता

इस तरह के विवाद का सम्मान।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित को भी विवाद माना जाएगा, अर्थात्: (क) सोसाइटी द्वारा किसी भी ऋण या मांग के लिए दावा

किसी सदस्य या नामित व्यक्ति, उत्तराधिकारी या कानूनी व्यक्ति से मृत सदस्य के प्रतिनिधि, चाहे वे

ऋण या मांग स्वीकार की जाए या नहीं;

((ख) प्रमुख देनदार के विरुद्ध किसी मुचलकेदार द्वारा किया गया दावा, जहां सोसाइटी ने प्रमुख देनदार से किसी ऋण या मांग के संबंध में मुचलकेदार से कोई राशि वसूल की है, जो प्रमुख देनदार के चूक के परिणामस्वरूप है, चाहे वह ऋण या मांग स्वीकार की गई हो या नहीं; (ग) के चुनाव के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद

प्रबन्धन बोर्ड या सोसायटी का कोई अधिकारी;

स्पष्टीकरण-चुनाव के लिए आम सभा की बैठक बुलाने से शुरू होने वाले चुनाव के किसी भी चरण में उत्पन्न होने वाले विवाद को चुनाव के संबंध में उत्पन्न होने वाला विवाद माना जाएगा।

(घ) धारा 80 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट समितियों के विभिन्न वर्गों के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, जिसमें उनके

पदोन्नति और अंतर वरिष्ठता।

(3) चुनाव के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ प्रबंधन बोर्ड या सोसायटी के एक अधिकारी को सहकारी मध्यस्थता न्यायालय द्वारा तब तक स्वीकार किया जाएगा जब तक कि इसे चुनाव की तारीख से एक महीने के भीतर नहीं भेजा जाता है। आई. टी.

के. ए. अन्नाम्मा बनाम एसईसीवाई। , कोचिन को-ऑपरेटिव हॉस्पिटल एसओसी। लिमिटेड। [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

असंशोधित धारा 70

70. विवादों पर निर्णय और निर्णय:

(1) धारा 69 के तहत विवाद का संदर्भ प्राप्त होने पर पंजीयक: ((क) विवाद का निर्णय स्वयं करने के लिए चुनें; या

(ख) इसे निपटान के लिए किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित करें जिसे सरकार द्वारा उस ओर से शक्तियों के साथ निवेश किया गया है; या

(ग) इसे निपटान के लिए पंजीयक द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के पास भेजें।

बशर्ते कि खंड (ख) के तहत कोई हस्तांतरण या खंड (ग) के तहत कोई संदर्भ किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। रैंक में उसके बराबर या उससे बेहतर।

(2) पंजीयक उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत हस्तांतरित या उस उप-धारा के खंड (सी) के तहत निर्दिष्ट किसी भी संदर्भ को वापस ले सकता है और वह स्वयं विवाद का निर्णय लेने या खंड के तहत किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का विकल्प चुन सकता है।

उप-धारा (1) का या उस उप-धारा के खंड (ग) के तहत किसी अन्य मध्यस्थ को संदर्भित करें। (3) पंजीयक या ऐसा व्यक्ति विवाद का निर्णय करेगा, या मध्यस्थ इस अधिनियम और नियमों और उप-कानूनों के प्रावधानों के अनुसार एक पुरस्कार पारित करेगा और ऐसा निर्णय या पुरस्कार, धारा 82 के प्रावधानों के अधीन, अंतिम होगा। निर्णय या अधिनिर्णय के लंबित रहने पर, पंजीयक, ऐसा व्यक्ति या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, ऐसे अंतर्वर्ती आदेश दे सकता है जो वह न्याय के हित में आवश्यक समझे।

(ख) प्रथम दृष्टया मामले का अस्तित्व जिसका अर्थ है कि क्या उत्तरदाताओं के पास सफलता की संभावना है और (ग) क्या न्याय के हित के लिए यह आवश्यक है कि एक अंतर्वर्ती आदेश दिया जाना चाहिए।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम 1/2000 में संशोधन करके धारा 70 में संशोधन किया गया

70. विवादों पर पुरस्कारः - (1) सहकारी मध्यस्थता न्यायालय, धारा की उप-धारा (1) के तहत विवाद के संदर्भ की प्राप्ति पर। 69 , इस अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार एक वर्ष के भीतर एक पुरस्कार पारित करेगा।

और उसके अधीन बनाए गए उप-कानून और ऐसा पुरस्कार, धारा के प्रावधानों के अधीन होगा। 82 , अंतिम हो। (2) सहकारी मध्यस्थता न्यायालय, धारा 69 के तहत उसे निर्दिष्ट विवाद का अधिनिर्णय लंबित रहने तक, ऐसा कर सकता है -

अंतर्वर्ती आदेश जो न्याय के हित में आवश्यक समझते हैं।

(3) सहकारी मध्यस्थता न्यायालय के पास वही शक्तियाँ होंगी जो संहिता के तहत दीवानी न्यायालय में निहित हैं।

सिविल प्रक्रिया, 1908 (1908 का केंद्रीय अधिनियम 5), निम्नलिखित मामलों के संबंध में एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए, अर्थात्:

(i) किसी भी प्रतिवादी या गवाह को बुलाना और उसकी उपस्थिति को लागू करना और गवाह से पूछताछ करना।

शपथ लें;

((ii) किसी दस्तावेज़ या अन्य दस्तावेज़ की खोज और उत्पादन।

सबूत के रूप में उत्पादन योग्य भौतिक वस्तु;

((ग) शपथपत्रों पर साक्षय प्राप्त करना। ((iv) किसी की परीक्षा के लिए कोई आयोग जारी करना।

गवाह; और

((v) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

(4) पंजीयक, धारा की उप-धारा (1) के तहत विवाद के संदर्भ की प्राप्ति पर। 69

((क) विवाद का निर्णय स्वयं करने के लिए चुनें; या (ख) इसे निपटान के लिए किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित करें जिसे सरकार द्वारा उसमें शक्तियों के साथ निवेश किया गया है।

की ओर से; या

(ग) द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को निपटान के लिए इसे भेजें।

पंजीयक:

एसएमटी। के. ए. अन्नाम्मा बनाम एसईसीवाई। , कोचिन को-ऑपरेटिव हॉस्पिटल एसओसी। लिमिटेड। [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

बशर्ते कि खंड (ख) या एक संदर्भ के तहत एक हस्तांतरण

खंड (ग) के तहत किसी व्यक्ति को बराबर या बराबर नहीं बनाया जाएगा।

रैंक में उससे बेहतर।

(5) पंजीयक हस्तांतरित किसी भी संदर्भ को वापस ले सकता है।

उप-धारा (4) के खंड (ख) के अधीन या खंड के अधीन निर्दिष्ट

(ग) उस उप-धारा का और वह विवाद का निर्णय लेने का चुनाव कर सकता है।

खंड (ख) के तहत स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करना।

उप-धारा (4) का या इसके तहत किसी अन्य मध्यस्थ को संदर्भित करना उस उप-धारा का खंड (ग)।

(6) पंजीयक या जिसमें शक्तियों के साथ निवेश किया गया व्यक्ति

इस ओर से, विवाद का फैसला करेगा या मध्यस्थ इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक पुरस्कार पारित करें

और नियम और उप-कानून और ऐसा निर्णय या पुरस्कार धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए। 82 , अंतिम हो। लंबित है।

निर्णय या पुरस्कार, पंजीयक, ऐसा व्यक्ति या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, इस तरह का मध्यस्थ बना सकता है।

आदेश जो वह न्याय के हित में आवश्यक समझे।

100. न्यायालयों की अधिकारिता की सीमाः - कोई दीवानी या राजस्व अदालत नहीं

जिसके लिए किसी भी मामले के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र होगा

इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है।

(जोर दिया गया)

33. इससे पहले कि हम प्रश्न की जाँच करें, इस पर ध्यान देना उचित है

प्रश्न पर बहुमत के साथ-साथ अल्पसंख्यक न्यायाधीशों के निष्कर्ष।

34. हम पाते हैं कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों न्यायाधीशों ने जांच की

मुख्य रूप से धारप्पा के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात के आलोक में प्रश्न। वास्तव में, विद्वान सलाह, उनके

हमारे समक्ष प्रस्तुतियों ने यह तर्क देने का कोई प्रयास नहीं किया कि धारप्पा (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित कानून को किसी भी मुद्दे पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। दूसरी ओर, दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दीं कि, सबसे पहले, धारप्पा के मामले में शामिल तथ्यों पर कानून का सही सिद्धांत निर्धारित किया गया है और दूसरी बात, इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या इसका अनुपात इस मामले के तथ्यों पर लागू होता है और यदि ऐसा है, तो कैसे और किस हद तक।

35. हमारी राय में भी, इसकी जांच करना आवश्यक नहीं हो सकता है

धारप्पा के मामले में निर्धारित अनुपात तक इसकी जांच को सीमित रखने के अलावा किसी अन्य निर्णय के आलोक में इस मामले में शामिल मुद्दा क्योंकि धारप्पा के मामले में इसके पहले के सभी निर्णयों पर चर्चा की गई है। विस्तार से विषय पर न्यायालय।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

36. जहाँ तक बहुमत (3) न्यायाधीशों के विचार का संबंध है, एक न्यायाधीश दो न्यायाधीशों से सहमत है, हालाँकि उन्होंने अपने लेख में कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है।

सहमत राय लेकिन सार में, हमारे विचार में, सामग्री पर उनके निष्कर्ष मुद्दे इस प्रकार हैं:

37. पहला, के. सी. एस. अधिनियम की धारा 69 की भाषा, जैसा कि यह मूल रूप से थी, इसके विपरीत भाग में उपयोग की जाने वाली भाषा से भौतिक रूप से अलग है इससे पहले दो धाराओं ने 1932 और 1951 के केरल सहकारी समिति अधिनियमों को निरस्त कर दिया था। के. सी. एस. अधिनियम की धारा 69 में प्रयुक्त पहले के दो निरस्त अधिनियमों की भाषा में किया गया यह विचलन महत्वपूर्ण है और प्रश्नों का उत्तर देते समय इसका भौतिक प्रभाव पड़ता है। (पैरा 17/18)

38. दूसरा, चूंकि के. सी. एस. अधिनियम, 1969 को 11.04.1969 पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, इसलिए राज्य के लिए यह आवश्यक नहीं था कि

संशोधन अधिनियम को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की एक और सहमति प्राप्त की (1 /

2000) जिसके द्वारा के. सी. एस. अधिनियम, 1969 के कुछ प्रावधानों को डब्ल्यू. ई. एफ. 02.01.2003 में संशोधित किया गया था।

39. दूसरे शब्दों में, एक बार 1969 के के. सी. एस. अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाने के बाद, राज्य के लिए संशोधन अधिनियम 1/2000 को पारित करने के लिए राष्ट्रपति की एक और मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। यह है।

अधिक तब जब इसे राज्यपाल की सहमति मिल गई हो (पैरा 45)।

40. तीसरा, के. सी. एस. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की स्वतंत्र रूप से या/और संयोजन में व्याख्या करने पर, यह स्पष्ट है कि के. सी. एस. अधिनियम, 1969, जैसा कि मूल रूप से था और अधिनियम (1/2000) द्वारा संशोधित किया गया था, उस समय लागू किसी भी अन्य कानून को ओवरराइड करता है, जिसमें आईडी अधिनियम, 1947 भी शामिल है, जहां तक यह सहकारी समिति के कर्मचारी और उसके नियोक्ता के बीच उत्पन्न होने वाले सेवा विवादों से संबंधित है।

41. दूसरे शब्दों में, के. सी. एस. अधिनियम, 1969 का आई. डी. अधिनियम 1947 पर इसकी स्थापना के बाद से ही एक प्रमुख प्रभाव है क्योंकि यह एक सहकारी समिति के कर्मचारी और उसके नियोक्ता के बीच उत्पन्न होने वाले सेवा विवादों से संबंधित है और इस प्रकार आई. डी. अधिनियम की प्रयोज्यता को बाहर करता है।

42. इसलिए, किसी सहकारी समिति के कर्मचारी और उसके नियोक्ता (सहकारी समिति) के बीच उत्पन्न होने वाला कोई भी सेवा विवाद केवल अधिकारियों और के. सी. एस. अधिनियम 1969 के तहत निर्दिष्ट मंच द्वारा विचारणीय है, चाहे वह 2000 के संशोधन अधिनियम संख्या 1 द्वारा किए गए संशोधनों से पहले या बाद में हो और न कि किसी भी प्राधिकरण/न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी समय लागू कानून के तहत।

एसएमटी। के. ए. अन्नाम्मा बनाम एसईसीवाई। , कोचिन को-ऑपरेटिव हॉस्पिटल एसओसी। लिमिटेड। [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

सेवा विवाद। 44. चौथा, के. सी. एस. अधिनियम, 1969 की धारा 69 की भाषा, जैसा कि यह मूल रूप से थी, जिसमें संशोधित और के. सी. एस. अधिनियम की धारा 70 शामिल है।

कर्नाटक सी. एस. अधिनियम जो धारप्पा के मामले में व्याख्या के लिए गिर गया है

धारप्पा के मामले का अनुपात एक दूसरे के साथ समान नहीं होने के कारण धारा की व्याख्या करते समय उस हद तक लागू नहीं हो सकता है।

69 के. सी. एस. अधिनियम।

45. पाँचवाँ, संशोधन अधिनियम (2000 का 1), जिसने के. सी. एस. अधिनियम की धारा 69 (2) (डी) में संशोधन किया, केवल बहुत सावधानी के माध्यम से है और इसका के. सी. एस. अधिनियम की धारा 69 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

46. जहाँ तक अल्पसंख्यक न्यायाधीशों (2) के दृष्टिकोण का संबंध है,

पदार्थ, यह अभिनिर्धारित करता है:

47. सबसे पहले, मामले में शामिल प्रश्न पूरी तरह से धारप्पा के मामले में निर्धारित अनुपात द्वारा कवर किया गया है। 48. दूसरा, के. सी. एस. अधिनियम की धारा 69 और धारा 70, जैसा कि यह मूल रूप से थी और कर्नाटक सी. एस. अधिनियम के प्रथम संशोधन अधिनियम (1976 का 19) द्वारा संशोधित, समान रूप से शब्दबद्ध हैं और इसलिए, के. सी. एस. अधिनियम की धारा 69 की व्याख्या करते समय धारप्पा के मामले का अनुपात लागू होगा।

49. तीसरा, के. सी. एस. अधिनियम 2000 के संशोधन अधिनियम संख्या 1 को पारित करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता थी।

50. चौथा, चूंकि राष्ट्रपति की कोई सहमति प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए संशोधन अधिनियम (2000 का 1) ने आई. डी. अधिनियम के तहत मंच के अधिकार क्षेत्र के बहिष्कार पर कोई प्रभाव नहीं डाला। इसके अलावा, के. सी. एस. अधिनियम की धारा 69 या धारा 100 में भी कर्नाटक सी. एस. अधिनियम की धारा 70 के समान कोई खंड नहीं है, जैसा कि संशोधन अधिनियम (2000 का 2) द्वारा संशोधित किया गया है, जिसमें सिविल न्यायालय, श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण की अधिकारिता को सेवा विवाद का निर्णय लेने से स्पष्ट रूप से हटाने के लिए एक खंड प्रदान किया गया है।

51. पाँचवाँ, संशोधन अधिनियम द्वारा के. सी. एस. अधिनियम के संशोधन से पहले और बाद में के. सी. एस. अधिनियम के तहत धारा 69 का अधिकार क्षेत्र।

2000) अक्षत रहता है।

52. छठा, दोनों अधिनियमों, अर्थात के. सी. एस. अधिनियम और आई. डी. अधिनियम का अधिकार क्षेत्र समवर्ती है।

53. इस प्रकार, सहकारी समिति के कर्मचारी और उसके नियोक्ता (सहकारी समिति) के बीच उत्पन्न होने वाला कोई भी सेवा विवाद दोनों अधिनियमों के तहत विचारणीय है और पीड़ित व्यक्ति को एक का चयन करना है।

अपने विवाद को निपटाने के लिए दोनों में से उसकी पसंद का मंच यह साबित करने के अधीन है कि वह एक कर्मचारी है, विवाद एक औद्योगिक विवाद है और सहकारी समिति एक उद्योग है जैसा कि आईडी अधिनियम में परिभाषित किया गया है।

54. सातवां, संशोधन अधिनियम (2000 का 1) द्वारा के. सी. एस. अधिनियम की धारा 69 में लाए गए संशोधन के बावजूद, आई. डी. अधिनियम के तहत श्रम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं किया गया है और इस प्रकार नहीं किया गया है।

प्रतिबंध लगा दिया। 55. और अंत में, इन निष्कर्षों के आलोक में, इस दृष्टिकोण को अपनाने वाले सभी तय किए गए मामलों को सही ढंग से तय किया जाता है और इसलिए, किसी भी निर्णय की आवश्यकता नहीं है।

पुनर्विचार।

56. हमारी राय में, इस अपील का भाग्य इस प्रश्न पर निर्भर करता है

धारप्पा के मामले का अनुपात मामले में शामिल मुद्दों पर किस हद तक लागू होता है।

59. धारप्पा ने अपनी बर्खास्तगी से व्यथित महसूस किया और आई. डी. अधिनियम के तहत श्रम न्यायालय, हुबली में एक आवेदन दायर किया। बाद में किया गया था आवेदन श्रम न्यायालय, बीजापुर में स्थानांतरित किया गया। धारप्पा के अनुसार, उनका समाप्ति आदेश खराब और अवैध था क्योंकि संघ उनके समाप्ति आदेश को पारित करने से पहले आईडी अधिनियम की धारा 25-एफ की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहा। धारप्पा के अनुसार, उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में लगातार 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया था, इसलिए वे अपनी सेवाओं को समाप्त करने से पहले आईडी अधिनियम के तहत एक कर्मचारी को उपलब्ध सुरक्षा का आनंद लेने के हकदार थे।

60. प्रत्यर्थी-फेडरेशन ने धरप्पा के दावे का खंडन किया। दलों ने अपने साक्षय प्रस्तुत किए। श्रम न्यायालय, दिनांक 15.10.1996, एस. एम. टी. द्वारा।

के. ए. अन्नाम्मा बनाम एसईसीवाई। , कोचिन को-ऑपरेटिव हॉस्पिटल एसओसी। लिमिटेड। [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

धारप्पा के आवेदन की अनुमति दी और समाप्ति आदेश को रद्द कर दिया। श्रम न्यायालय ने माना कि बर्खास्तगी आदेश खराब था क्योंकि धरप्पा ने एक कैलेंडर वर्ष में लगातार 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया था।

61. श्रम न्यायालय के निर्णय से व्यथित फेडरेशन ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर पुरस्कार की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाया। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, उसी उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एक अन्य मामले में (वीरशैव को-ऑप। बैंक लिमिटेड बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, (2001) 3 Kar.LJ 519) ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि कर्नाटक सी. एस. अधिनियम के तहत निर्धारित उपचार और प्रक्रिया व्यापक थी, इसलिए एक सहकारी समिति के कर्मचारी और उसके नियोक्ता (सहकारी समिति) के बीच उत्पन्न होने वाले सेवा विवादों पर कर्नाटक सी. एस. अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए और ऐसे विवादों का निर्णय करने के लिए आई. डी. अधिनियम के तहत श्रम न्यायालय की अधिकारिता वर्जित है।

62. कर्नाटक चीनी श्रमिक संघ बनाम कर्नाटक राज्य, (ए. आई. आर.) के एक अन्य मामले में उसी उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने

2003 कर एच. सी. आर. 1802) ने बाद में डिवीजन बेंच के इस विचार को मंजूरी दी।

63. डिवीजन बेंच के उपरोक्त दृष्टिकोण पर भरोसा करते हुए और

पूर्ण पीठ, विद्वान एकल न्यायाधीश ने संघ की रिट याचिका को मंजूरी दी और श्रम न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि पहचान पत्र अधिनियम के प्रावधान किसी सहकारी समिति के कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता के खिलाफ उठाए गए सेवा विवाद पर लागू नहीं होते हैं। धारप्पा को अपने बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देने के लिए कर्नाटक सी. एस. अधिनियम के तहत उचित उपाय करने की स्वतंत्रता दी गई थी। 64. धारप्पा ने व्यथित महसूस किया और डिवीजन बेंच के समक्ष एक रिट अपील दायर की। के दृष्टिकोण पर भरोसा रखते हुए अपीलीय न्यायालय

कर्नाटक चीनी मजदूर संघ के मामले में पूर्ण पीठ

(ऊपर) अपील को खारिज कर दिया। यह अन्य बातों के साथ-साथ माना गया कि धारप्पा का उचित उपचार कर्नाटक सी. एस. की धारा 70 को लागू करने में निहित है।

अपने निर्णय के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष विवाद दायर करके कार्य करें। यह इस फैसले के खिलाफ है, धारप्पा ने व्यथित महसूस किया और इस अदालत में विशेष अनुमति द्वारा अपील दायर की।

18] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

65. इस न्यायालय के समक्ष, धरप्पा ने दो बिंदु उठाए, जिनमें से हम केवल एक बिंदु से संबंधित हैं, अर्थात। , क्या उत्पन्न होने वाले सेवा विवाद का निर्णय करने के लिए आई. डी. अधिनियम के तहत श्रम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है

एक सहकारी समिति के कर्मचारी और उसके नियोक्ता के बीच कर्नाटक सी. एस. अधिनियम की धारा 70 के आधार पर वर्जित है और, यदि ऐसा है, तो किस तारीख से।

66. यह वह प्रश्न है जिसकी इस न्यायालय द्वारा कर्नाटक की धारा 70 सहित प्रासंगिक प्रावधानों के आलोक में व्यापक रूप से जांच की गई थी।

सी. एस. अधिनियम जैसा कि यह मूल रूप से था और बाद में दो बार संशोधित किया गया था, इस सवाल के साथ कि कर्नाटक सी. एस. अधिनियम में संशोधन अधिनियम (2/2000) द्वारा किए गए धारा 70 के दूसरे संशोधन और इस विषय पर पिछले मामले के कानून को दी गई राष्ट्रपति की मंजूरी का क्या प्रभाव है।

67. यह देखा गया कि कर्नाटक सी. एस. अधिनियम कर्नाटक राज्य द्वारा राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद अधिनियमित किया गया था।

11.08.1959 . अधिनियम की धारा 70 मूल रूप से उसमें नामित पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित है और ऐसे विवादों के निर्णय के लिए एक मंच प्रदान करती है, जिसमें सेवा विवाद भी शामिल हैं।

धारा 70 में निर्दिष्ट किसी भी विवाद के संबंध में किसी भी वाद या अन्य कार्यवाही पर विचार करें। 70. विद्वान न्यायाधीश रवींद्रन, जे. ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए अनुच्छेद 13,14,16 और 17 में प्रश्नगत मुद्दे पर संक्षिप्त रूप से विचार किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 13. 2000 के अधिनियम 2 द्वारा के. सी. एस. अधिनियम की धारा 70 में संशोधन का प्रभाव यह है कि यदि कोई विवाद (आई. टी. सहित) है।

के. ए. अन्नाम्मा बनाम एसईसीवाई। , कोचिन को-ऑपरेटिव हॉस्पिटल एसओसी। लिमिटेड। [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

14. 20-6-2000 से पहले भी, 20-1-1976 से प्रभावी 1976 के अधिनियम 19 द्वारा KCS अधिनियम की धारा 70 में संशोधन को ध्यान में रखते हुए, किसी के बीच कोई भी विवाद सहकारी समिति और उसके कर्मचारी या पूर्व कर्मचारी या मृतक कर्मचारी के उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि, जिसमें रोजगार की शर्तों, काम करने की स्थितियों और सहकारी समिति द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में विवाद शामिल है, को एक सहकारी समिति के संविधान, प्रबंधन या व्यवसाय को छूते हुए विवाद माना जाता था, जिसे इसके लिए पंजीयक के पास भेजा जाना था।

न्यायनिर्णयन। लेकिन 20-6-2000 से पहले, कोई एक्सप्रेस नहीं था

श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण की अधिकारिता का अपवर्जन। परिणामस्वरूप, यदि किसी सहकारी समिति के कर्मचारी ने "कामगार" की परिभाषा का उत्तर दिया हो।

और सहकारी समिति और उसके बीच विवाद

कर्मचारी "औद्योगिक विवाद" की परिभाषा के दायरे में आता है, तब कर्मचारी के पास दो वैकल्पिक मंचों का विकल्प होता है-या तो पंजीयक के समक्ष विवाद उठाने के लिए। के. सी. एस. अधिनियम की धारा 70 या आई. डी. अधिनियम की धारा 10 (1) (सी) के तहत श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण को निर्देश देना [या आई. डी. अधिनियम की धारा 10 (4-ए) के तहत आवेदन करके श्रम न्यायालय से संपर्क करना]।

16. यद्यपि कर्नाटक सहकारी समिति अधिनियम, 1959 को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रखा गया था और 1976 के संशोधन अधिनियम 19 पर उनकी सहमति प्राप्त हुई थी, जिसमें धारा 70 की उप-धारा (2) में खंड (डी) जोड़ा गया था (जिसके द्वारा किसी सहकारी समिति और उसके वर्तमान या पूर्व कर्मचारी (ओं) के बीच किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई या कार्य स्थितियों के संबंध में विवाद को [2018] एस. सी. आर. के संविधान, प्रबंधन या व्यवसाय को छूते हुए विवाद माना जाता था।

एक सहकारी समिति), न तो आरक्षित थी, न ही राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की। राष्ट्रपति की सहमति के अभाव में, धारा 70 (2) के खंड (डी) को यह तर्क देने के लिए सहायता के लिए नहीं बुलाया जा सका कि के. सी. एस. अधिनियम की धारा 70 (1) (सी) औद्योगिक अधिनियम के प्रावधानों पर प्रबल होगी।

विवाद अधिनियम। नतीजतन, के. सी. एस. अधिनियम में 1976 के संशोधन के बाद भी, श्रम न्यायालयों और यदि सहकारी समिति "उद्योग" की परिभाषा का उत्तर देती है और विवाद एक "औद्योगिक विवाद" होता है तो आई. डी. अधिनियम के तहत काम करने वाले औद्योगिक न्यायाधिकरणों के पास समाज और उसके श्रमिकों के बीच विवादों के संबंध में अधिकार क्षेत्र बना रहता है। लेकिन जब के. सी. एस. अधिनियम की धारा 70 की उप-धारा (1) को 2000 के अधिनियम 2 द्वारा विशेष रूप से संशोधित किया गया था

श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर

20-6-2000 से प्रभाव दिया गया है। इसलिए, किसी सहकारी समिति और उसके कर्मचारियों (या पूर्व कर्मचारियों) के बीच रोजगार की शर्तों, सेवा शर्तों या अन्य शर्तों से संबंधित विवादों के संबंध में श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र को केवल आई. डी. 1 से ही बाहर रखा गया था। अनुशासनात्मक कार्रवाई। अतः वर्ष 1996 में श्रम न्यायालय को इस तरह के विवाद के संबंध में निर्णय देने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त था। उच्च न्यायालय इस आधार पर इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था कि के. सी. एस. अधिनियम की धारा 70 विवाद का फैसला करने के लिए श्रम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बाधा थी।

17. के. सी. एस. अधिनियम में 1976 के संशोधन ने आई. डी. अधिनियम के प्रावधानों के साथ कोई विसंगति नहीं लाई और न ही यह आई. डी. अधिनियम के प्रावधानों पर हावी होने का तात्पर्य रखता है। इसका प्रभाव केवल सहकारी समितियों और उनके कर्मचारियों के बीच रोजगार, कार्य स्थितियों और अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित विवादों के निर्णय के लिए एक अतिरिक्त या वैकल्पिक मंच प्रदान करना था।

आई. टी. के. ए. अन्नाम्मा बनाम एसईसीवाई। , कोचिन को-ऑपरेटिव हॉस्पिटल एसओसी। लिमिटेड। [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

इसलिए, 1976 का संशोधन अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति के अभाव में भी वैध था। दूसरी तरफ

हाथ, 2000 के संशोधन ने विशेष रूप से बाहर रखा

औद्योगिक न्यायाधिकरणों और श्रम न्यायालयों की अधिकारिता

आई. डी. अधिनियम, और के प्रावधानों पर प्रबल होने का इरादा विवादों के निर्णय के संबंध में आई. डी. अधिनियम। उक्त संशोधन के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता थी और वास्तव में, राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित था और प्राप्त किया गया था

उसकी सहमति। यदि 1976 के संशोधन को इस रूप में पढ़ा जाना था औद्योगिक न्यायाधिकरणों की अधिकारिता को छोड़कर और

श्रम न्यायालयों को तब 1976 के अधिनियम द्वारा संशोधित धारा 70 के प्रावधानों को पढ़ना आवश्यक था, जैसा कि प्रचलित है।

आई. डी. अधिनियम के प्रावधानों पर। किस स्थिति में, इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती, और इस तरह की सहमति के अभाव में, संशोधन उस हद तक किया जाता, जिस हद तक यह अपेक्षित था।

केंद्रीय अधिनियम पर प्रबल होने के लिए,

शून्य। इसलिए, 1976 के संशोधन को पढ़ने का एकमात्र तरीका इसे शाब्दिक और सामान्य तरीके से पढ़ना है, जो कि नहीं है।

औद्योगिक न्यायाधिकरणों की अधिकारिता को छोड़कर और

श्रम न्यायालय लेकिन केवल एक समवर्ती प्रदान करने के रूप में के. सी. एस. की धारा 70 के तहत पंजीयक पर अधिकार क्षेत्र

अधिनियम "।

71. विद्वान न्यायाधीश ने तब पारस 24 और 25 के समापन में कहा कि

आर:

" 24. परिणामी स्थिति का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:

समाज और उसके कर्मचारियों के बीच। नतीजतन, यह भी 20-1-1976 से धारा 70 (2) में खंड (डी) को शामिल करने के बाद, श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण

आई. डी. अधिनियम के तहत, निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र बना रहा

समितियों और उनके कर्मचारियों के बीच विवाद।

(ख) श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र

सहकारी समितियों के बीच विवादों का निर्णय करने के लिए न्यायाधिकरण समितियों और उनके कर्मचारियों को केवल तभी हटाया गया जब [2018] 1 एस. सी. आर.

धारा 70 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) (डी) को 2000 के अधिनियम 2 द्वारा संशोधित किया गया और संशोधन प्राप्त हुआ। 18-3-2000 पर राष्ट्रपति की सहमति और लाया गया था

20-6-2000 पर प्रभावी।

औद्योगिक विवाद की परिभाषा इस प्रकार निहित है: (i) विशेष रूप से श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों के साथ

20-1-1976 तक;

20-1-1976 और 20-6-2000 के बीच KCS अधिनियम; और (iii) विशेष रूप से के. सी. एस. अधिनियम की धारा 70 के तहत कुलसचिव के साथ 20-6-2000 से प्रभावी।

25. इसलिए हमारा मानना है कि श्रम न्यायालय का निर्णय अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं था। लेकिन हम स्पष्ट करते हैं कि

कि यह निर्णय मामलों को फिर से खोलने पर लागू नहीं होगा

वीरशैव कूप पर भरोसा करने का फैसला किया। बैंक 1 और कर्नाटक शुगर वर्कर्स फेडरेशन 2 ने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है।

72. हमारी सुविचारित राय में, धारप्पा के मामले का अनुपात यह है कि सबसे पहले, कर्नाटक सी. एस. अधिनियम की धारा 70, जो मूल रूप से थी और 1976 के पहले संशोधन अधिनियम 19 द्वारा संशोधित की गई थी, जिसमें धारा 70 में दो खंड (डी) और (ई) जोड़े गए थे, चाहे कोई इसे स्वतंत्र रूप से पढ़ता हो या/और अन्य धाराओं के साथ संयोजन में, यह पाएगा कि इसमें निम्नलिखित प्रावधान नहीं थे:

श्रम न्यायालय की अधिकारिता का निष्कासन या बहिष्करण व्यक्त करना /

आई. डी. अधिनियम के तहत औद्योगिक न्यायाधिकरण।

73. दूसरे शब्दों में, इसने श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण के लिए उत्पन्न होने वाले सेवा विवादों पर निर्णय लेने के लिए कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं बनाया।

सहकारी समिति के कर्मचारी और उसके नियोक्ता (सहकारी समिति) के बीच।

74. दूसरा, कोई भी सहकारी समिति का कर्मचारी "कर्मचारी", "औद्योगिक विवाद" की परिभाषा को संतुष्ट करता है और आई. डी. अधिनियम के तहत परिभाषित एक "उद्योग" होने के लिए सहकारी

समिति के पास अपने सेवा विवाद के संबंध में मामला दर्ज करने के लिए दो मंचों में से एक मंच का चयन करने का विकल्प है, यानी एस. एम. टी. के तहत मामला दर्ज करने के लिए।

के. ए. अन्नाम्मा बनाम एसईसीवाई। , कोचिन को-ऑपरेटिव हॉस्पिटल एसओसी। लिमिटेड। [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

कर्नाटक सी. एस. अधिनियम या आई. डी. अधिनियम की धारा 10 के तहत औद्योगिक संदर्भ प्राप्त करना या आई. डी. अधिनियम की धारा 10 (4-ए) के तहत आवेदन दायर करना। (पैरा 14)। 75. तीसरा, दोनों अधिनियम, अर्थात् कर्नाटक सी. एस. अधिनियम और आई. डी. अधिनियम, ऐसी सेवा पर समवर्ती अधिकार क्षेत्र रखते थे और उनका आनंद लेते थे।

20.06.2000 तक विवाद।

76. चौथा, द्वारा किए गए दूसरे संशोधन के परिणामस्वरूप

कर्नाटक राज्य ने संशोधन अधिनियम 2/2000 द्वारा धारा 70 में, जिसे 18.03.2000 पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी और जिसे 20.06.2000 पर लागू किया गया था, राज्य विधानमंडल ने पहली बार सहकारी समिति के कर्मचारी और उसके नियोक्ता (सहकारी समिति) के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी सेवा विवाद का फैसला करने के लिए सिविल कोर्ट या श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को हटाने के लिए एक स्पष्ट प्रावधान प्रदान किया।

77. इस तरह के संशोधित प्रावधान को लागू करने का प्रभाव यह था कि आई. डी. अधिनियम के प्रावधान अब ऐसे सेवा विवादों को तय करने के लिए लागू नहीं थे। दूसरे शब्दों में, आई. डी. अधिनियम के अधिकार क्षेत्र को 20.06.2000 के बाद से ऐसे सेवा विवादों को तय करने से बाहर रखा गया था। एक दुर्भाग्य से, केवल कर्नाटक सी. एस. अधिनियम के तहत निर्दिष्ट अधिकारियों को सक्षम ठहराया गया था और 20.06.2000 के बाद से इस तरह के विवादों का मुकदमा चलाने के लिए अधिकार क्षेत्र था।

78. पाँचवाँ, सावधानी के नियम के माध्यम से, इस तरह के प्रश्न का निर्णय न्यायालयों द्वारा मुख्य रूप से भाषा को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

79. छठा, संविधान का अनुच्छेद 254 तब आकर्षित होता है जब राज्य अधिनियम के किसी भी प्रावधान (प्रावधानों) के बीच प्रतिकूलता होती है जैसे कि कर्नाटक सी. एस. अधिनियम और समवर्ती सूची जैसे आई. डी. अधिनियम में आने वाले विषय पर संसद द्वारा अधिनियमित किसी भी मौजूदा कानून के प्रावधान।

80. असंगति इतनी अपरिवर्तनीय होनी चाहिए कि यह केंद्रीय अधिनियम के किसी भी प्रावधान के साथ मिलीभगत पर सीधे सिर में आना चाहिए

इस प्रकार एक ऐसी स्थिति पैदा होती है कि एक अधिनियम का पालन करने के परिणामस्वरूप दूसरे की अवज्ञा होगी। 81. सातवाँ, यदि किसी भी मामले में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो राज्य कानून (कर्नाटक सी. एस. अधिनियम) जो राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित है और

राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना, केंद्रीय कानून (आईडी [2018] 1 एस. सी. आर.) पर हावी होगा।

अधिनियम) संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के आधार पर उस राज्य में। 82. अब मामले के तथ्यों पर आते हैं, जब हम धरप्पा के मामले के अनुपात के आलोक में प्रश्न की जांच करते हैं, तो इसे बाहर निकाला जाता है।

ऊपर, तुलना करने पर, हम के. सी. एस. अधिनियम की धारा 69 की भाषा के बीच पर्याप्त समानता पाते हैं क्योंकि यह मूल रूप से 2000 के संशोधन अधिनियम 1 द्वारा स्थापित और बाद में संशोधित की गई थी।

कर्नाटक सी. एस. अधिनियम की धारा 70 जो मूल रूप से इसके साथ थी

प्रथम संशोधन अधिनियम 19/1976 द्वारा संशोधित।

83. दूसरे शब्दों में, हम देखते हैं कि वाक्यांश और भाषा

के. सी. एस. अधिनियम की असंशोधित और संशोधित धारा 69 और कर्नाटक सी. एस. अधिनियम की धारा 70, जैसा कि अधिनियम <आई. डी. 1 द्वारा पहले संशोधन द्वारा संशोधित किया गया है, दोनों एक दूसरे के समान हैं।

84. सबसे पहले, के. सी. एस. अधिनियम और कर्नाटक सी. एस. अधिनियम को उनके संबंधित अधिनियमन के समय राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।

85. दूसरा, के. सी. एस. अधिनियम-संशोधन अधिनियम 1/2000 को राज्यपाल की मंजूरी मिली और साथ ही कर्नाटक सी. एस. के संशोधन अधिनियम 19/76 को भी।

अधिनियम को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई।

समय लागू होने पर, यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है 87. चौथा, धारा 69 और धारा 70 इन शब्दों के साथ समाप्त होती है "इस तरह के विवाद को पंजीयक को भेजा जाएगा और कोई भी अदालत ऐसा नहीं करेगी।

के संबंध में किसी वाद या अन्य कार्यवाही पर विचार करने की अधिकारिता

ऐसा विवाद "। 88. पाँचवाँ, (के. सी. एस. अधिनियम और कर्नाटक सी. एस. अधिनियम) में सिविल न्यायालय, श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को सेवा विवादों पर निर्णय लेने से स्पष्ट रूप से हटाने का कोई प्रावधान नहीं था।

कर्नाटक राज्य द्वारा 2000 के 2 के संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 70 में पहली बार 20.06.2000 से लागू किया गया।

राष्ट्रपति की सहमति से।

89. यह, हमारे विचार में, इंगित करता है कि 20.06.2000 तक, KCS अधिनियम और कर्नाटक CS अधिनियम के बीच समानता थी। लेकिन इसके बाद

धारा 70 को अधिनियम संख्या 2/2000 डब्ल्यू. ई. एफ. 20.06.2000 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें एक विशिष्ट खंड प्रदान किया गया था, जिसमें सेवा विवादों पर निर्णय लेने के लिए सिविल, श्रम और राजस्व न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण की अधिकारिता को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया था, दोनों अधिनियमों की योजना अब समान नहीं रही।

एसएमटी। के. ए. अन्नाम्मा बनाम एसईसीवाई। , कोचिन को-ऑपरेटिव हॉस्पिटल एसओसी। लिमिटेड। [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

आई. डी. अधिनियम के तहत। दूसरी ओर, यह माना गया कि कर्नाटक सी. एस. अधिनियम के पास सेवा विवादों को तय करने के लिए समवर्ती अधिकार क्षेत्र है 20.06.2000 तक। (धारप्पा का पैरा 14/16 देखें)

91. धारप्पा के मामले की यह व्याख्या, हमारे विचार में, केसीएस अधिनियम के प्रावधानों पर पूरी तरह से लागू होगी यदि धारा 69 भी लागू होती है। धारा 69 को कर्नाटक सी. एस. अधिनियम की संशोधित धारा 70 के बराबर बनाकर केरल राज्य द्वारा उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया। आज तक ऐसा नहीं है।

92. यद्यपि के. सी. एस. अधिनियम को 2000 के संशोधन अधिनियम 1 (डब्ल्यू. ई. एफ. 02.01.2003) द्वारा संशोधित किया गया था, लेकिन इसने आई. डी. अधिनियम, 1947 के किसी भी प्रावधान के कारण के. सी. एस. अधिनियम में किसी भी प्रकार की विसंगति या प्रतिकूलता नहीं लाई।

क्या अधिनियम 1/2000 द्वारा संशोधन सहित के. सी. एस. अधिनियम लाया गया था?

के. सी. एस. अधिनियम और आई. डी. अधिनियम के प्रावधानों के बीच किसी भी प्रकार की विसंगति या प्रतिकूलता के बारे में, जैसे कि कर्नाटक सी. एस. अधिनियम की धारा 70 में दूसरे संशोधन अधिनियम (आई. डी. 2) द्वारा लाया गया आई. डी. अधिनियम के बारे में और यदि के. सी. एस. अधिनियम के ऐसे संशोधित प्रावधानों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती, तो के. सी. एस. अधिनियम के प्रावधान भी संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के आधार पर राज्य में आई. डी. अधिनियम पर हावी हो जाते।

93. यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि यद्यपि के. सी. एस. अधिनियम को इसके अधिनियमन के समय राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी, इसलिए भी

कर्नाटक सी. एस. अधिनियम प्राप्त हुआ, इस न्यायालय ने कर्नाटक सी. एस. अधिनियम की धारा 70 की व्याख्या करते हुए राज्यपाल की सहमति के साथ कर्नाटक सी. एस. अधिनियम की धारा 1976 द्वारा संशोधित धारा 70 की व्याख्या करते हुए धारप्पा के मामले में निर्णय दिया है कि धारा 70 ने आई. डी. अधिनियम के किसी भी प्रावधान के साथ कोई विसंगति या/और प्रतिकूलता पैदा नहीं की है और इस तरह के सेवा विवाद पर समवर्ती अधिकार क्षेत्र रखता है। धारप्पा के मामले का यह अनुपात के. सी. एस. अधिनियम की धारा 69 पर लागू होगा क्योंकि हमने माना है कि धारा 69 कर्नाटक सी. एस. अधिनियम की धारा 70 के समान है।

94. इसके अलावा, संशोधित के. सी. एस. अधिनियम (2000 का 1) को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद कोई विसंगति या विसंगति नहीं आई।

आई. डी. अधिनियम के प्रावधानों के साथ प्रतिकूलता। किसी भी स्थिति में, [2018] 1 एस. सी. आर. में।

के. सी. एस. अधिनियम 1/2000 में संशोधन के लिए राष्ट्रपति की सहमति की अनुपस्थिति, भले ही के. सी. एस. अधिनियम और आई. डी. अधिनियम के प्रावधानों के बीच कोई विसंगति या प्रतिकूलता मौजूद हो, यह आई. डी. अधिनियम है जो संविधान के अनुच्छेद 254 (1) के आधार पर के. सी. एस. अधिनियम पर प्रबल होगा, लेकिन इसके विपरीत नहीं।

95. संविधान के अनुच्छेद 254 के संबंध में कानून और इसे किसी विशेष मामले में कैसे लागू किया जाता है, इसकी श्रृंखला द्वारा काफी अच्छी तरह से तय किया गया है - इस न्यायालय के निर्णय। यह अनुच्छेद उन मामलों में आकर्षित होता है जहां संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा एक ही विषय पर कानून अधिनियमित किया जाता है, जो सूची III-समवर्ती सूची में आता है।

96. किसी भी मामले में उत्पन्न होने वाली ऐसी स्थिति में, यदि केंद्र और राज्य के प्रावधानों के बीच कोई विसंगति या/और प्रतिकूलता देखी जाती है।

राज्य अधिनियम, जिसके परिणामस्वरूप उनकी एक-दूसरे के साथ सीधी मिलीभगत हुई है, जिससे दोनों प्रावधानों को लागू रखना असंभव हो गया है, जैसे कि एक प्रावधान का पालन किया जाता है, दूसरे की अवज्ञा की जाएगी, राज्य अधिनियम, यदि इसे राष्ट्रपति की सहमति मिल गई है, तो संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के आधार पर संबंधित राज्य में केंद्रीय अधिनियम पर प्रबल होगा।

97. दुर्भाग्य से, ऐसी स्थिति में, यदि राज्य अधिनियम को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है तो केंद्रीय अधिनियम प्रबल होगा

संविधान के अनुच्छेद 254 (1) के आधार पर राज्य अधिनियम।

आई. डी. अधिनियम के प्रावधानों के साथ इसके दो संशोधन शामिल हैं। 99. यह हमें एक और प्रश्न की जाँच करने के लिए ले जाता है। जैसा कि हम पाते हैं, बहुसंख्यक न्यायाधीशों ने तुलना करने का प्रयास करके प्रश्नों की जांच करने के लिए आगे बढ़े।

के. सी. एस. अधिनियम 1969 की धारा 69 की भाषा के साथ 1932 और 1951 के दो निरस्त के. सी. एस. अधिनियमों की प्रासंगिक धाराओं में प्रयुक्त भाषा और धारा 69 में नियोजित भाषा में कुछ विचलन को देखते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि धारा 69 की भाषा श्रम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने के लिए पर्याप्त व्यापक है।

आई. डी. अधिनियम के तहत। बहुसंख्यक न्यायाधीशों ने के. सी. एस. अधिनियम की कुछ और धाराओं पर भी ध्यान दिया और के. सी. एस. अधिनियम और कर्नाटक सी. एस. अधिनियम की योजना में कुछ विसंगतियों को देखते हुए कहा कि के. सी. एस. अधिनियम की धारा 69 स्थापना के बाद से आई. डी. अधिनियम के प्रावधानों को ओवरराइड करती है। हम खुद को बहुमत के दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ पाते हैं।

एसएमटी। के. ए. अन्नाम्मा बनाम एसईसीवाई। , कोचिन को-ऑपरेटिव हॉस्पिटल एसओसी। लिमिटेड। [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

निरस्त प्रावधानों के साथ तुलना करने के बजाय कर्नाटक सी. एस. अधिनियम की धारा 70 में नियोजित। 101. दूसरे शब्दों में, एक बार पहले संशोधन द्वारा संशोधित धारा 69 और धारा 70 की भाषा की तुलना करने पर, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि दोनों धाराएं 20.06.2000 तक एक-दूसरे के समान हैं।

इसलिए, धारप्पा के मामले में निर्धारित कानून के. सी. एस. अधिनियम की धारा 69 पर लागू होगा क्योंकि यह धारा 70 की व्याख्या करता है जैसा कि यह मूल रूप से था और संशोधन अधिनियम 19/1976 द्वारा संशोधित किया गया था। दूसरी ओर, यह अनुपात 20.06.2000 के बाद लागू नहीं होगा क्योंकि उस तारीख से, धारा 70 की भाषा में परिवर्तन हुआ था, जिसमें 2/2000 के संशोधन अधिनियम द्वारा स्पष्ट शब्दों में अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने के लिए एक खंड प्रदान किया गया था।

102. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, हमारी यह सुविचारित राय है कि बहुसंख्यक न्यायाधीशों के दृष्टिकोण को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, जबकि

अल्पसंख्यक न्यायाधीशों के दृष्टिकोण को बरकरार रखा जाना चाहिए और तदनुसार इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। 103. हम तदनुसार मानते हैं कि के. सी. एस. अधिनियम और आई. डी. अधिनियम दोनों के पास सहकारी समिति के कर्मचारी और उसके बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी सेवा विवाद को तय करने के लिए समवर्ती अधिकार क्षेत्र है और उनका आनंद लेते हैं।

नियोक्ता (सहकारी समिति)।

104. हम यह भी मानते हैं कि यह संबंधित कर्मचारी की पसंद है

उसके द्वारा उठाया गया विवाद एक "औद्योगिक विवाद" है और सहकारी समिति (नियोक्ता) एक "उद्योग" है जैसा कि आई. डी. अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है। 105. उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में, वे सभी मामले, जिन्होंने विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है, खारिज हो जाते हैं।

106. हमारे निष्कर्ष के परिणामस्वरूप, हमारे विचार में, इस मामले में श्रम न्यायालय द्वारा उठाए गए सेवा विवाद का फैसला करने के लिए सक्षम था आई. डी. अधिनियम के तहत कर्मचारी (इसमें अपीलार्थी)। तदनुसार मामला 320 है।

कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर श्रम न्यायालय के निर्णय की वैधता और शुद्धता की जांच करने के लिए प्रतिवादी की रिट याचिका पर निर्णय लेने के लिए रिट अदालत को रिमांड पर भेजा गया।

107. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील सफल होती है और यह है -

तदनुसार, अनुमति दी। विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है।

बी.

निधि जैन